थान कुँवर

बनाम

हरियाणा राज्य

02 मार्च 2020

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार:

आपराधिक अपील संख्या. 2172/2011

यह वाद पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ एस बी-2113 एस. बी / 2005 के निर्णय एवं आदेश दिनांक 18.8.2008 के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है।

अधिवक्ता उदय गुप्ता, हिरेन दासन, चाँद क़ुरैशी, हेमन्त कुशवाह, आशीष गुप्ता, श्रीमती सरला चंद्रा, - अपीलकर्ता के लिए.

अधिवक्ता शेखर राज शर्मा, डॉ. मोनिका गुसाईं -प्रतिवादी के लिए

निर्णय सुनाया गया द्वारा :-

**के. एम. जोसेफ, जे.**

1. अपीलकर्ता विचारण न्यायालय के समक्ष अभियुक्त संख्या -1 था एवं उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलकर्म था। उच्च न्यायालय ने आदेशित फैसले से विचारण न्यायालय के निर्णय की पुष्टि की और उसे स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 198 (शन डी.पी.एस.) अधिनियम धारा -18 के तहत दोषी ठहराया 1

2. अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है:

दिनांक 10.4.2004 को अभियोजन साक्षी संख्या - 7 सहायक अवर निरीक्षक एवं अन्य पुलिस पदाधिकारियों ने देखा कि अपीलकर्ता और एक अन्य अभियुक्त - 8 मरला कॉलोनी से आ रहे थे। उनके हाथ में एक बैग था। पुलिस, पार्टी को देखकर पीछे मुड़ा और तेजी से चलने लगा इससे सहायक अवर निरीक्षक के मन में संदेह उत्पन्न हो गया। उसने उन्हें रोक लिया, एवं बैग में मादक पदार्थ होने की आशंका जताई एवं उसने उन्हें रोक लिया। अभियुक्तों को बताया गया कि अगर वे चाहें तो किसी राजपत्रित पदाधिकारी या मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में बैग की तलाशी ले सकते हैं। अपीलकर्ता ने राजपत्रित अधिकारी द्वारा तलाशी की माँग की घटनास्थल पर पुलिस उपाधीक्षक आए एवं उनके निर्देश पर तलाशी ली

गई। बैग का वजन करने पर उसमें 6 किलो 300 ग्राम अफीम था ।जिसका नमूना लिया गया। इसके पश्चात औपचारिक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई। एफ एस एल रिपोर्ट मिलने एवं जाँच पूरी होने पर आरोप पत्र दाखिल किया गया । अभियोजन पक्ष की ओर से 8 गवाहों का परीक्षण कराया गया। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत लिए गए बयान में अपीलकर्ता ने आपतिजनक परिस्थितियों से इंकार किया । उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता की दोषसिद्धि की पुष्टि की है। जैसा कि पहले देखा गया।

3. हमने अपीलकर्ता के विद्वान वकील को सुना ।

अपीलकर्ता की दलीलें

4. सबसे पहले यह बताया गया है कि दूसरे शब्दों में, श्री ओम प्रकाश, पुलिस उपाधीक्षक (जिनकी उपस्थिति में, अभियोजन पक्ष द्वारा तलाशी का आरोप लगाया गया था तलाशी ली गयी थी ) एक अन्य मामले में उसी समय उपस्थित था। दूसरे शब्दों में, उनका कहना है कि इस मामले के संबंध में, अपनी गवाही में उन्होंने कहा है कि वह दोपहर 1.30 बजे घटनास्थल पर पहुंचे थे। इस बात का प्रमाण है कि वह अपराह्न 3.00 बजे तक वहीँ रहे। हालांकि, न्यायालय में पेश की गई उनकी गवाही के संदर्भ में इसका खंडन किया गया है, जिससे पता चलता है कि वह दोपहर 12.30 बजे से उपस्थित थे। उसी तिथि को एक अन्य मामले में के सिलसिले में वह दोपहर 2.30 बजे तक वहीं थे। ऐसे में प्रश्न यह है जिस व्यक्ति की निगरानी में तलाशी ली गयी वह एक ही समय में दो अलग अलग जगहों पर कैसे हो सकता हैं। इससे पूरे अभियोजन पक्ष की बहस संदेह के घेरे में आ गई। इसके बाद यह तर्क दिया गया कि कि कथित तौर पर 6 किलोग्राम 300 ग्राम प्रतिबंधित पदार्थ को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया था। इससे दृढ़ विश्वास खराब हो गया। इस संदर्भ में इस न्यायालय के द्वारा निम्नलिखित निर्णयों को उद्धृत किया गया :-

(1) जीतेन्द्र और अन्य बनाम एम.पी.[1] राज्य;

(2) अशोक उर्फ डंगरा जयसवाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य[2] और

(3) गोरख नाथ प्रसाद बनाम बिहार राज्य[3].

5. निस्संदेह, विद्वान अधिवक्ता हमारा ध्यान राजस्थान राज्य बनाम सही राम[4] मामले में इस न्यायालय का निर्णय की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं। जहां अनिवार्य रूप से इस तथ्य के

आधार पर एक विरोधाभाषी दृष्टिकोण अपनाया गया है की यदि अधिक मात्रा में प्रतिबंधित पदार्थ शामिल है तो उसे प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है

6. अपीलकर्ता के अधिवक्ता द्वारा अगला तर्क प्रस्तुत किया गया हालाँकि, यह सच हो सकता है कि अभियुक्त द्वारा लिए गए बैग की तलाशी के लिए अधिनियम की धारा-50 की आवश्यकताओं के अनुपालन करना आवश्यक नहीं हो सकता है, लेकिन यदि कोई व्यक्तिगत तलाशी ली जाती है तो धारा-50 आकर्षित होती है। इस संदर्भ में, उन्होंने हमारा ध्यान दिलीप और अन्य बनाम एमपी[5] राज्य मामले में सुनाए गए दो विद्वान न्यायाधीशों की खंडपीठ के फैसले की ओर आकृष्ट किया। इसमें अन्य बातों के अलावा, इस प्रकार कहा गया है। बैग की तलाशी के लिए अभियुक्त की आवश्यकताओं का अनुपालन करना आवश्यक नहीं हो सकता है अधिनियम की धारा 50 लेकिन यदि कोई व्यक्तिगत तलाशी भी ली जाती है तो धारा 50 है आकर्षित किया. इस संदर्भ में उन्होंने हमारा ध्यान खंडपीठ के फैसले की ओर दिलाया दो विद्वान न्यायाधीशों ने दिलीप और अन्य बनाम एमपी[5] राज्य मामले में रिपोर्ट दी। उसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, इस प्रकार कहा गया है:-

> "16 इस मामले में, जहाँ तक स्कूटर की तलाशी का सवाल है, धारा 50 के प्रावधानों का अनुपालन करने की आवश्यकता नहीं हो सकती है, लेकिन इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अपीलकताओं का व्यक्तिगत तलाशी भी ली गई थी। कि अभियोजन साक्षी - 10 की ओर से आवश्यक था कि उक्त प्रावधानों का अनुपालन करने के लिए, परन्तु ऐसा नहीं किया गया ।"

7. वास्तव में, जब इसे विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह बताया गया कि उपरोक्त दृष्टिकोण को पंजाब राज्य बनाम बलजिंदर सिंह और अन्य[6] " के फैसले में तीन विद्वान न्यायाधीश की खंडपीठ द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है। दूसरा उन्होने यह बताया कि वास्तव में तीन विद्वान न्यायाधीशों की एक खंडपीठ थी, जिसमे दो विद्वान न्यायाधीशों की खण्डपीठ राजू उर्फ अब्दुल हक उर्फ जग्गा बनाम पश्चिम राज्य बंगाल[7] पर भरोसा किया।

8. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का अंतिम तर्क है कि अभियोजन पक्ष ने अपने मामले के समर्थन में किसी भी स्वतंत्र गवाह को शामिल नहीं किया है। वह फैसले का ही हवाला देते हुए बताते हैं कि वहां गवाह उपलब्ध थे लेकिन सरकारी गवाहों के अलावा किसी भी अन्य गवाहों को अभियोजन मामले के समर्थन में सूचीबद्ध नहीं किया गया है।

9. इसके विपरीत, राज्य के विद्वान अधिवक्ता इसे प्रस्तुत करेंगे, कि श्री ओम प्रकाश राजपत्रित अधिकारी (डीएसपी) से पूछताछ नहीं की गई। उन्होंने आगे बताया कि न्यायालय को इसे

स्वीकार करना चाहिए कि घटना की तारीख से गवाह के परीक्षण के समय तक के समय के अंतराल को ध्यान में रखना चाहिए। समय की विसंगति गवाह के गवाही को बदनाम करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इसके अलावे उनका मानना है कि यह भी एक ऐसा मामला है जहाँ आरोपी द्वारा लिए गए बैग के भीतर से प्रतिबंधित पदार्थ बरामद की गई थी। अभियुक्त को शरीर से अलग किसी बैग की तलाशी लेने के लिए धारा- 50 के अनुपालन करने कि कोई आवश्यकता नहीं है। जहां तक इस तर्क का संबंध है कि प्रतिबंधित सामग्री नहीं थी। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया । यह कानून नहीं है कि प्रतिबंधित वस्तुओं को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि जो प्रतिबंधित सामग्री की प्रस्तुतीकरण को अनिवार्य करता है। इसके अलावे, वह यह भी तर्क दिए कि अपीलकर्ता ने विचारण न्यायालय या उच्च न्यायालय के समक्ष इस तथ्य को नहीं उठाया था। वास्तव में, अधिवक्ता द्वारा कोई विवाद नही उठाया गया है कि प्रतिबंधित वस्तु को प्रस्तुत नहीं किया गया है। हांलाकि, उन्होंने बताया कि एफ एस एल रिपोर्ट है। वह किसी भी स्वतंत्र गवाह को पेश न करने के संबंध में उच्च नयायालय के फैसले का समर्थन करते है।

10. पहला प्रश्न जो हमारे लिए विचारणीय है वह यह कि क्या अपीलकर्ता के इस तर्क में बल है कि कोई स्वतंत्र गवाह पेश नहीं किया गया है। इस संदर्भ में अभियोजन साक्षी संख्या – 6 की गवाही पर भरोसा किया जाता है। अपने जिरह में उन्होंने अन्य बातों के साथ - साथ इस प्रकार कहा है:

> यह एक व्यस्त जगह थी, लोग इधर से उधर गुजर रहे थे। जनता में से कुछ लोगों को बुलाया गया लेकिन वे आना - कानी करने लगे, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। काबरी निवासी एवं सुनील , गुलशन को जाँच में शामिल होने केलिए कहा गया था । वे वहां पर लगभग अपराहन 1:00 बजे तक थे। मुझे जानकारी नहीं थी कि प्रेम गांव का सरपंच है या नहीं। वे घटनास्थल पर करीब 5 मिनट तक रुके। कुछ लोग पास के दुकान से बुलाए गए थे लेकिन मुझे उनके नाम एवं दुकान के नाम के बारे में नहीं पता।

11. इसलिए, यह अपीलकर्ता का मामला है, यह ऐसा मामला नहीं है जहां स्वतंत्र गवाह जांच और अभियोजन से जुड़े नहीं हो सकते थे ।

12. हम अन्य पहलुओं पर भी विचार करने के बाद इससे निपटेंगे। अगला पहलू जिस पर प्रकाश डाला गया है, जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, वह राजपत्रित अधिकारी, यानी डीएसपी की गवाही में सामने आई विसंगति थी, जिसे कथित तौर पर एएसआई द्वारा तब बुलाया गया था जब धारा- 50 के तहत अधिकार के बारे में सूचित किया गया था, आरोपी धारा- 50 के अनुपालन की मांग की और

टेलीफोन संदेश पर डीएसपी मौके पर पहुंचे। अपने बयान में, यह सच है कि राजपत्रित अधिकारी (डीएसपी) ने अन्य बातों के साथ-साथ इस प्रकार गवाही दी है:

उसके मोबाइल फोन पर दोपहर करीब 01:10 बजे कॉल आई। वह दोपहर करीब 01:30 बजे घटनास्थल पर पहुंचे।

पीडब्लू-7 के रूप में जांच किए गए एएसआई ने कहा है कि आरोपी को दोपहर लगभग 01:00 बजे पकड़ा गया था और वे शाम 04:30 बजे तक घटनास्थल पर ही रहे। अधिनियम की धारा- 50 के तहत नोटिस दिया गया। लगभग 01:05 बजे अपराह्न दोपहर करीब 01:05 बजे डीएसपी को टेलीफोन पर संदेश भेजा गया. उसे उस दुकान का नाम याद नहीं है जहां से फोन किया गया था. उस समय कार्यालय में डीएसपी / राजपत्रित अधिकारी मौजूद थे. दोपहर करीब 01:20 बजे डीएसपी आये. अपराह्न तीन बजे तक वह मौके पर ही रहे।

13. अपीलकर्ता का मामला निम्नलिखित गवाही पर आधारित है जो उसी द्वारा दी गई थी। एक अन्य मामले में डी.एस.पी., जिसे विचारण न्यायलय में चिन्हित किया गया है। उक्त मामले में (अर्थात, राज्य बनाम हीरा लाल), वह अन्य बातों के साथ-साथ इस प्रकार बताते हैं:

10.04.2004 को उन्हें डीएसपी मुख्यालय, पानीपत के रूप में तैनात किया गया। दोपहर करीब 12 बजे वह अपने कार्यालय में मौजूद थे। उन्होंने बताया कि उन्हें एक पुलिस अधिकारी से टेलीफोन आया था कि धारा- 50 के तहत नोटिस दिया गया है और उक्त मामले में पकड़े गए व्यक्ति ने एक राजपत्रित अधिकारी के समक्ष तलाशी लेने का विकल्प चुना है। वह जट्टल रोड, रेलवे क्रॉसिंग, 8. मरला, पानीपत के पास घटनास्थल पर पहुंचे। प्रासंगिक बात यह है कि, उन्होंने अपनी जिरह में कहा कि वह अपराह्न 02:30 बजे तक घटनास्थल पर रहे। वह दोपहर करीब 12:20 बजे घटना स्थल पर पहुंचे। उनके कार्यालय से घटनास्थल की दूरी 2.5 किलोमीटर बताई गई थी.

14. इस प्रकार, एक ओर, इस मामले में, उसी अधिकारी ने गवाही दी। है कि वह दोपहर लगभग 01:30 बजे घटनास्थल पर पहुंचा था और एएसआई ने गवाही दी है कि वह अपराह्न 03:00 बजे तक घटनास्थल पर ही रहे। डीएसपी ने एक अन्य मामले के संबंध में बयान दिया है कि वह उस मामले के संबंध में दोपहर करीब 12:20 बजे जांच स्थल पर पहुंचे थे. और दोपहर 02:30 बजे तक वहीं रहे। इसलिए, तर्क यह है कि साक्ष्य के अनुसार, डीएसपी को एक ही समय में दो अलग-अलग स्थानों पर उपस्थित होना चाहिए। इससे स्पष्ट रूप से अभियोजन का मामला संदिग्ध हो गया है और संदेह का लाभ किसी भी कीमत पर आरोपी को मिलना चाहिए।

15. जहां तक धारा 50 के उल्लंघन के तर्क का संबंध है, यह अभियुक्तों की व्यक्तिगत तलाशी पर आधारित है। पीडब्लू 6, एएसआई ने अन्य बातों के साथ- साथ इस प्रकार कहा है:

> महिला आरक्षी द्वारा जीप के परछाई पर अभियुक्त की व्यक्तिगत तलाशी ली गई थी मुझे याद नहीं..... जिस जीप से आरोपी की व्यक्तिगत तलाशी ली गयी थी वह किस दिशा में थी महिला आरक्षी अकेले ही अभियुक्त की व्यक्तिगत तलाशी ली थी मुझे याद नहीं है कि व्यक्तिगत तलाशी के समय जीप का चालाक था या नहीं।

16. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने दिलीप (सुप्रा) में इस न्यायालय के फैसले की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया। उसमें दो विद्वान न्यायाधीशों की एक पीठ ने, अन्य बातों के साथ-साथ, इस प्रकार निर्णय दिया:

> "16 इस मामले में, जहां तक स्कूटर की तलाशी का सवाल है, धारा-50 के प्रावधानों का अनुपालन करने की आवश्यकता नहीं हो सकती है, लेकिन, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अपीलकर्ताओं के व्यक्तिगत तलाशी ली गई थी, पीडब्लू 10 की ओर से उक्त प्रावधानों का अनुपालन करना अनिवार्य था परन्तु ऐसा नहीं किया गया।"

17. इसमें कोई संदेह नहीं है कि हम इस न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले पर ध्यान देते हैं। जिसमे एसके राजू (सुप्रा) में तीन विद्वान न्यायाधीशों ने (दिलीप (सुप्रा) में फैसले का हवाला दिया, और उसके बाद, अन्य बातों के साथ-साथ, इस प्रकार कहा :-

> "जैसे ही व्यक्ति की तलाशी ली जातीहै, धारा- 50 के अनिवार्य अनुपालन की आवश्यकता लागू हो जाती है, भले ही हिरासत में लिए गए व्यक्ति के पास से प्रतिबंधित सामग्री बरामद हुई हो या नहीं।"

18. उक्त मामले में, न्यायालय ने माना कि धारा- 50 की आवश्यकताका अनुपालन किया गया था। हालाँकि, हमें बाद के घटनाक्रम को तीन विद्वान न्यायाधीशों की एक पीठ द्वारा दिए गए फैसले के रूप में देखते हैं, जो फैसले के पैराग्राफ 16 में निहित दिलीप (सुप्रा) में व्यक्त दृष्टिकोण की शुद्धता को छूता है।

19. बलजिंदर सिंह (सुप्रा) मामले में, इस न्यायालय ने उस मामले में धारा- 50 की प्रयोज्यता के संदर्भ में मामले पर विस्तार से विचार किया जहां व्यक्तिगत तलाशी भी होती है।

20. यह वह मामला था जहां पोस्ता भूसी के 7 बैग प्रत्येक का वजन 34 किलोग्राम था। गाड़ी से मिले थे. गिरफ्तारी के बाद आरोपियों की व्यक्तिगत तलाशी ली गई, जिससे प्रतिबंधित सामग्री की

कोई बरामदगी नहीं हुई। उच्च न्यायालय ने धारा- 50 का उल्लंघन पाया क्योंकि अभियुक्त की व्यक्तिगत तलाशी मजिस्ट्रेट/राजपत्रित अधिकारी के समक्ष नहीं की गई थी और प्रतिवादी की दोषसिद्धि को रद्द कर दिया। यह न्यायालय, बलजिंदर सिंह (सुप्रा) मामले में, बलदेव सिंह (सुप्रा) मामले में संविधान पीठ द्वारा निर्धारित कानून पर विचार करने के लिए आगे बढ़ा और अन्य बातों के साथ-साथ, इस प्रकार माना गया:

> "16. संविधान पीठ द्वारा बलदेव सिंह मामले में अपने फैसले के पैरा 57 में दर्ज निष्कर्ष (3) में [पंजाब राज्य बनाम बलदेव सिंह, (1999) 6 एससीसी 172: 1999 एससीसी (सीआरआई) 1080 ] में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि दोषसिद्धि "केवल" पर आधारित नहीं हो सकती। अधिनियम की धारा- 50 के तहत आवश्यकताओं के उल्लंघन में व्यक्तिगत तलाशी से बरामद एक अवैध वस्तु के कब्जे के आधार पर, लेकिन यदि अभिलेख पर अन्य सबूत हैं, तो ऐसी सामग्री पर निश्चित रूप से गौर किया जा सकता है।
>
> 17. मौजूदा मामले में, अभियुक्त की व्यक्तिगत तलाशी से कोई प्रतिबंधित सामग्री बरामद नहीं हुई। यदि ऐसी कोई बरामदगी थी भी, तो अधिनियम की धारा- 50 की आवश्यकताओं के अनुपालन के अभाव में उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता था। लेकिन वाहन की तलाशी और उसके अनुसार प्रतिबंधित सामग्री की बरामदगी साबित हो गई है, केवल इसलिए कि जहां तक "व्यक्तिगत तलाशी" का संबंध है, अधिनियम की धारा 50 का अनुपालन नहीं किया गया था, कोई लाभ नहीं दिया जा सकता है ताकि प्रभाव को अमान्य किया जा सके। वाहन की तलाशी से बरामदगी ऐसा कोई भी विचार सीधे तौर पर पूर्वोक्त निष्कर्ष (3) के दायरे में होगा।
>
> 18. दिलीप मामले में इस न्यायालय का निर्णय [दिलीप बनाम मध्य प्रदेश राज्य, (2007) 1 एससीसी 450: (2007) 1 एससीसी (सीआरआई) [377], हालांकि, जैसा कि यहां ऊपर चर्चा की गई है और आगे बढ़ा गया है, उस पर विचार नहीं किया गया है। वाहन से बरामदगी के संबंध में भी अभियुक्त को लाभ प्रदान करें, इस आधार पर कि व्यक्तिगत तलाशी से संबंधित धारा 50 की आवश्यकताओं का अनुपालन नहीं किया गया था। हमारे विचार में, दिलीप मामले में उक्त निर्णय में इस न्यायालय का निर्णय [दिलीप बनाम मध्य प्रदेश राज्य, (2007) 1 एससीसी 450: (2007) 1 एससीसी) (सीआरआई) 377] सही नहीं है और कानून के विपरीत है।

बलदेव सिंह [ पंजाब राज्य बनाम बलदेव सिंह, (1999) 6 एससीसी 172: 1999 एससीसी (सीआरआई) [1080] और अन्य निर्णयों में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित।"

21. तीन न्यायाधीशों की पीठ के फैसले को ध्यान में रखते हुए, जो सीधे तौर पर इस मुद्दे से निपटता है, अर्थात पैराग्राफ 16 पर अपीलकर्ता द्वारा रखी गई दिलीप (सुप्रा) निर्भरता में दृष्टिकोण की शुद्धता उपलब्ध नहीं हो सकती है। जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, हम उस टिप्पणी से अनभिज्ञ नहीं हैं जो एसके में इस न्यायालय के अन्य तीन न्यायाधीशों की पीठ के फैसले में की गई है। ऐसा प्रतीत होता है कि एसके राजू (सुप्रा) को उस बेंच के ध्यान में नहीं लाया गया जिसने बाद में बलजिंदर सिंह (सुप्रा) मामले का फैसला किया। हालाँकि, हमने देखा कि बाद का निर्णय बलदेव सिंह (सुप्रा) मामले में संविधान पीठ के फैसले से प्रेरणा लेता है। हमने यह भी देखा कि यह ऐसा मामला नहीं है जहां कथित व्यक्तिगत तलाशी में कुछ भी बरामद किया गया हो। वसूली उस बैग से की गई जिसके लिए यह स्थापित कानून है कि अधिनियम की धारा 50 के अनुपालन की आवश्यकता नहीं है।

22. जब्त सामग्री प्रस्तुत न करने की शिकायत, इस न्यायालय के केस कानून पर आधारित है जो इस न्यायालय के जितेंद्र (सुप्रा) के फैसले से उत्पन्न हुई है। जितेंद्र (सुप्रा) से शुरू होने वाले केस कानून का सर्वेक्षण करना आवश्यक है। उक्त मामले में कुछ तथ्यों पर गौर करना आवश्यक है। अभियोजन पक्ष द्वारा वसूली हेतु पंच गवाहों का परीक्षण किया गया। वे पक्षद्रोही हो गए. अभियोजन पक्ष के गवाहों पीडब्लू 7, पीडब्लू 8 और पीडब्लू 6 के अलावा, बरामदगी के संबंध में कोई स्वतंत्र गवाह नहीं मिला। पैराग्राफ 6 को प्रस्तुत करना सार्थक है। यह इस प्रकार है:

"6. हमारे विचार में, उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण अस्थिर नहीं है। मुकदमे में अभियोजन पक्ष के लिए ठोस साक्ष्य द्वारा यह स्थापित करना आवश्यक था कि आरोपी के कब्जे से कथित मात्रा में चरस और गांजा जब्त किया गया था। सबसे अच्छा साक्ष्य जब्त की गई सामग्रियां होंगी जिन्हें परीक्षण के दौरान प्रस्तुत किया जाना चाहिए था और भौतिक वस्तुओं के रूप में चिह्नित किया जाना चाहिए था। उन्हें पेश करने में विफलता के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं है। उनकी विशेषताओं और पंचनामा के प्रस्तुति के बारे में केवल मौखिक साक्ष्य भारी बोझ से छुटकारा नहीं दिला सकते जो अभियोजन पर निर्भर करता है, विशेष रूप से जहां अपराध एनडीपीएस अधिनियम के तहत कड़ी सजा के साथ दंडनीय है। इस मामले में, हमने देखा है कि पंच पक्षद्रोही हो गए हैं, इसलिए पंचनामा संबंधित पुलिस

अधिकारी द्वारा लिखे गए एक दस्तावेज के अलावा और कुछ नहीं है। जिरह में बचाव पक्ष द्वारा किया गया बयान ध्यान देने योग्य है। अभियोजन पक्ष के गवाहों को यह सुझाव दिया गया कि घर की मालकिन ने पुलिस के साथ मिलकर केवल आरोपियों को उस घर से बेदखल करने के लिए झूठा मामला दर्ज कराया था जिसमें वे रह रहे थे। अंत में, हमने देखा कि जांच अधिकारी से भी पूछताछ नहीं की गई। इस पृष्ठभूमि में, यह कहना कि, पंच गवाहों के मुकर जाने, जांच अधिकारी की गैर-परीक्षा और जब्त की गई दवाओं के प्रस्तुत न किये जाने के बावजूद, एनडीपीएस अधिनियम के तहत दोषसिद्धि अभी भी बरकरार रखी जा सकती है, दूर की कौड़ी है। "

23. हमने देखा कि इस निर्णय का पालन अशोक उर्फ डंगरा जयसवाल (सुप्रा) में बताए गए निर्णय में किया गया था। उसमें, न्यायालय ने टिप्पणी की। जब्ती गवाह के मुकर जाने के अलावा, जो एक असामान्य घटना नहीं पाई गई, कुछ अन्य विशेषताएं, जैसा कि पैराग्राफ 10 और 11 में बताया गया है, जो इस प्रकार है:

"10. कथित मादक पदार्थ की जब्ती 8-3-2005 को शाम 11.45 बजे की गई दिखाई गई है। जब्त किए गए पदार्थ से लिए गए नमूने 10-3-2005 को एफएसएल को भेजे गए थे, साथ ही ड्राफ्ट, एक्सटेंशन पी-31। फोरेंसिक जांच के लिए भेजे गए नमूने, हालांकि, उस तारीख को एफएसएल में जमा नहीं किए गए थे, लेकिन ड्राफ्ट में कुछ गलती के कारण वे 12-3-2005 को पुलिस स्टेशन में वापस आ गए। मसौदे के संबंध में कुछ प्रश्न मसौदे में आवश्यक सुधार और / या प्रश्न का उत्तर देने के बाद नमूने 14-3-2005 को एफएसएल को वापस भेज दिए गए और उस तारीख को नमूने एफएसएल में स्वीकार कर लिए गए। 8-3-2005 की देर शाम को जब्ती के समय, 14-3-2005 को एफएसएल में उनकी जमा राशि तक, यह स्पष्ट नहीं है कि नमूने कहाँ रखे गए थे या कितने लोगों द्वारा और किस तरह से संभाले गए थे।

11. एफएसएल रिपोर्ट 21-3-2005 को आई और उसके आधार पर पुलिस ने 31-3-2005 को आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया, लेकिन अपीलकर्ता सहित आरोपियों से जब्त किया गया कथित मादक पदार्थ जमा कर दिया गया। लगभग दो महीने बाद 28-5-2005 को मालखाने में इस बीच जब्त किया गया पदार्थ कहां रखा गया, इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं है।"

24. इसके बाद न्यायालय ने कहा कि अंतिम लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि विचारण न्यायालय में नशीले पाउडर का कभी भी भौतिक वस्तु के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया था और फिर इसके प्रस्तुत न करने के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं था। यह पाया गया कि अपीलकर्ता या अन्य अभियुक्तों के कब्जे से जब्त किए गए पदार्थ के साथ फोरेंसिक रिपोर्ट को जोड़ने के लिए कोई सबूत

नहीं था (पैराग्राफ 12 देखें)। इन परिस्थितियों में न्यायालय ने जीतेन्द्र (सुप्रा) मामले में इस न्यायालय के फैसले से समर्थन प्राप्त किया। अपीलकर्ता इस मामले के तथ्यों में कोई भी तथ्य प्रदर्शित नहीं कर पाया है जिसकी तुलना पैराग्राफ 10 और 11 में बताए गए तथ्यों से की जा सके। कम से कम इन पंक्तियों पर अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कुछ भी आग्रह नहीं किया गया था।

25. ध्यान देने योग्य अगला निर्णय विजय जैन बनाम मध्य प्रदेश राज्य है। पहली विशेषता जो हमने नोटिस की वह यह है कि प्रतिबंधित पदार्थ को प्रस्तुत नहीं किए जाने का विवाद विचारण न्यायालय के समक्ष उठाया गया था (पैराग्राफ 5 देखें)। यह एक ऐसा मामला था जहां एक सूटकेस को कथित प्रतिबंधित सामग्री के रूप में पेश किया गया था। सूटकेस के संबंध में पीडब्लू 11 का साक्ष्य विस्तृत रूप से विचार किया गया। यह पाया गया कि न्यायालय के समक्ष एकमात्र साक्ष्य यह था कि सूटकेस में केवल कपड़े में लिपटा एक बड़ा पैक था और कपड़ा फटा हुआ था और नीले रंग की पॉलिथीन थी जिसमें कपड़े थे। पीडब्लू 11 के साक्ष्य से सूटकेस में कोई ब्राउन शुगर पाए जाने का पता नहीं चला। निस्संदेह, न्यायालय ने तैयार किए जा रहे दो नमूनों का उल्लेख किया। तब कोर्ट ने कहा कि पीडब्लू 3 ने कोर्ट के सामने कहा है कि वे नमूने उसकी उपस्थिति में तैयार नहीं किए गए थे। पीडब्लू 2 ने कहा था कि गवाहों को उस स्थान पर नहीं ले जाया गया जहां सामग्री जब्त की गई थी। गोरख नाथ प्रसाद (सुप्रा) में, न्यायालय ने कहा कि न तो जब्त किया गया गांजा और न ही जब्ती के समय लिया गया नमूना प्रस्तुत किया गया था। जांच अधिकारी पीडब्लू 7 ने बताया कि सीलबंद सामग्री पर कोई एमआर नंबर नहीं था। उन्हें यह भी पता नहीं था कि जब्त की गई सामग्री मालखाने में रखी गई थी या नहीं और इसे अदालत में पेश नहीं किया गया था। तलाशी और जब्ती के संबंध में स्वतंत्र गवाह, पीडब्लू 2 और पीडब्लूड 3 अपने बयान से मुकर गए। इन परिस्थितियों में, ऐसा प्रतीत होता है कि अदालत ने यह माना | कि जब्त की गई सामग्री का प्रस्तुत नहीं करने से अभियोजन मामले के लिए घातक था। इसके बाद कोर्ट ने जितेंद्र (सुप्रा) के बाद अशोक (सुप्रा) के फैसले का हवाला दिया। अंत में, हम मोहिंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य में इस न्यायालय के फैसले पर ध्यान देते हैं। इसका प्रतिपादन तीन विद्वान न्यायाधीशों की खण्डपीठ द्वारा किया गया। यह एक ऐसा मामला था जहां विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ता को यह कहते हुए बरी कर दिया था कि अन्य बातों के अलावा, मजिस्ट्रेट का कोई आदेश यह साबित करने के लिए साबित नहीं हुआ था कि मामले की संपत्ति अदालत के सामने पेश की गई थी। उच्च न्यायालय ने बरी करने के फैसले को पलट दिया और अपीलकर्ता को दोषी ठहराया। यह ध्यान देने योग्य है कि इस न्यायालय ने इस मामले के तथ्यों में क्या कहा था:

> "10. जहां तक अभियुक्तों से जब्त किए गए प्रतिबंधित | पदार्थ के प्रस्तुति के संबंध में विवाद है, अपने साक्ष्य में, हरभजन सिंह (पीडब्लू 3) ने कहा कि 1-5-1998 को, उन्होंने सील के साथ नमूना पार्सल और केस संपत्ति पार्सल पेश किए और न्यायिक मजिस्ट्रेट, लुधियाना के समक्ष नमूना मुहरें दर्ज की गई और मजिस्ट्रेट ने नमूना छाप के साथ मिलान की गई मुहरों को दर्ज किया है। हरभजन सिंह (पीडब्लू 3) ने आगे कहा कि अदालत से नमूने और पार्सल की वापसी के बाद, उनके द्वारा इसे दर्ज कराया गया था | मालखाना को 1-5-1998 को ही भेज

दिया गया। तत्कालीन मालखाना प्रभारी बलदेव सिंह (पीडब्लू 5) ने हालांकि मौखिक रूप से मालखाने में प्रतिबंधित सामग्री जमा करने के बारे में कहा था, लेकिन बलदेव सिंह (पीडब्लू (5) ने रजिस्टर नंबर 19 प्रस्तुत नहीं किया गया है। मामले की संपत्ति को मालखाने में जमा करने के संबंध में रजिस्टर नंबर 19 में प्रासंगिक प्रविष्टि दर्शायी गयी है । आरोपी से जब्त किए गए मादक पदार्थ को मालखाने में जमा करने के बारे में हरभजन सिंह (पीडब्ल्यू 3) और बलदेव सिंह (पीडब्लू 5) के मौखिक साक्ष्य की पुष्टि दस्तावेजी साक्ष्य, यानी रजिस्टर नंबर 19 में की गई प्रविष्टि से नहीं होती है।

11. जोगिंदर सिंह (पीडब्लू 2) और हरभजन सिंह (पीडब्लू 3) के मौखिक साक्ष्य का हवाला देते हुए. विचारण न्यायालय ने अपने फैसले के पैरा 14 में यह निष्कर्ष दर्ज किया है कि मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रतिबंधित सामग्री के प्रस्तुति को साबित करने के लिए मजिस्ट्रेट का कोई आदेश फाइल पर उपलब्ध नहीं था। इस तरह की टिप्पणी दर्ज करने के बाद, विचारण न्यायालय ने माना कि मजिस्ट्रेट के समक्ष मामले की संपत्ति के प्रस्तुति के संबंध में मौखिक साक्ष्य भरोसेमंद और स्वीकार्य नहीं थे। मजिस्ट्रेट के आदेश के अभाव में यह दर्शाता है कि आरोपी से जब्त किया गया प्रतिबंधित पदार्थ मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया था, मौखिक साक्ष्य यह दर्शाता है कि प्रतिबंधित पदार्थ मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया था, जो दोषसिद्धि को दर्ज करने का आधार नहीं बन सकता है।"

26. अंत में, उसमें की गई टिप्पणी के संबंध में पैराग्राफ 12 का संदर्भ लेना भी आवश्यक है। यह प्रासंगिकता ग्रहण करेगा, जो इस प्रकार है:

"12. एनडीपीएस अधिनियम के तहत अपराध को साबित करने के लिए, अभियोजन पक्ष के लिए आरोपी के कब्जे से कथित तौर पर जब्त किए गए प्रतिबंधित सामान की मात्रा स्थापित करना आवश्यक है और सबसे अच्छा सबूत प्रतिबंधित पदार्थ के प्रस्तुति के बारे में अदालत के अभिलेख होंगे। मजिस्ट्रेट के समक्ष और उसे मालखाने के समक्ष जमा करना या प्रतिबंधित सामग्री को नष्ट करने वाले दस्तावेज के समक्ष जमा करना।"

27. कानून के तहत लागू सटीक प्रावधान का निर्धारण करने के लिए, जैसे कि अपराध वाणिज्यिक मात्रा या अन्य श्रेणियों से संबंधित है, यह आवश्यक हो सकता है।

28. हालाँकि, इस मामले के तथ्यों में हमें कुछ विशेषताएं नज़र आती हैं। विचारण न्यायालय के समक्ष, प्रतिबंधित सामग्री के प्रस्तुत नहीं करने के बारे में ऐसा विवाद उठाया नहीं गया था। हालाँकि, हम सही राम (सुप्रा) में इस न्यायालय के फैसले का भी उल्लेख कर सकते हैं। यह एक ऐसा मामला था जहां वाहन की तलाशी ली गई, जिसके दौरान चालक की सीट के पीछे 7 बैग पोस्त भूसे पाए गए, जिनका कुल वजन 233 किलोग्राम था। नमूने लिये गये। उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी

के अपील में पाया केवल 2 नमूना पैकेट और 2.5 किलोग्राम वजन वाले खसखस के एक बैग को प्रस्तुत किया गया था और जिस मामले का हमने उल्लेख किया है उस पर भरोसा करते हुए, प्रतिवादी को बरी कर दिया। कोर्ट ने जीतेंद्र (सुप्रा) मामले में फैसले के पैराग्राफ 9 पर भी गौर किया, जहां कोर्ट ने कहा, सभी परिस्थितियों के संचयी प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, यह आरोप वापस लाने के लिए पर्याप्त नहीं था। न्यायालय ने मोहिंदर सिंह (सुप्रा) मामले में इस न्यायालय के फैसले का भी उल्लेख किया।

29. न्यायालय ने सहीराम (सुप्रा) में यह भी कहा कि यदि जब्ती अन्यथा अभिलेख पर साबित हो जाती है और इस पर संदेह या विवादित भी नहीं है, तो इसे न्यायालय के समक्ष रखने की आवश्यकता नहीं है। न्यायालय ने आगे कहा कि यदि जब्ती अन्यथा साबित हो जाती है तो साबित करने के लिए यह तथ्य आवश्यक है कि प्रतिबंधित पदार्थ से लिए गए नमूने बरकरार रखे गए हैं। इस न्यायालय ने इस प्रकार निर्णय दिया:

> "15. यह सच है कि उपरोक्त सभी मामलों में अभियुक्तों की ओर से यह दलीलें दी गयी थी कि अदालत के समक्ष प्रतिबंधित सामग्री प्रस्तुत करने में विफलता के परिणामस्वरूप अभियुक्त को बरी कर दिया जाना चाहिए। हालाँकि, उपरोक्त किसी भी मामले में केवल इतना ही नहीं कहा गया है केवल उस आधार पर बरी करने का लाभ देने के लिए इस न्यायालय के साथ विचार किया गया। जैसा कि जितेंद्र (जितेंद्र बनाम मध्य प्रदेश राज्य, (2004) 10 एससीसी 562: 2004 एससीसी (सीआरआई) 2028] में इस न्यायालय के फैसले से स्पष्ट है, इसके अलावा उपरोक्त प्रस्तुतिकरण के मामले में अन्य पहलुओं पर भी न्यायालय ने विचार किया जो निर्णय के पैरा-7 से 9 में स्पष्ट है।
>
> इसी तरह अशोक में [अशोक बनाम मध्य प्रदेश राज्य, (2011) 5 एससीसी 123 : (2011) 2 एससीसी (सीआरआई) 547], इस तथ्य का कोई स्पष्टीकरण नहीं था कि जब्त किया गया पदार्थ कहां रखा गया था (पैरा 11) और आगे का तथ्य फोरेंसिक रिपोर्ट को जब्त किए गए पदार्थ से जोड़ने के लिए कोई सबूत नहीं था, (पैरा 12) पर भी आरोपी के पक्ष में संदेह का लाभ देते हुए भरोसा किया गया। इसी तरह, विजय जैन [विजय जैन बनाम मध्य प्रदेश राज्य, (2013) 14 एससीसी 527: (2014) 4 एससीसी (सीआरआई) 276) में, तथ्य यह है कि अभिलेख पर साक्ष्य यह स्थापित नहीं करता है कि सामग्री अपीलकर्ताओं से जब्त की गई थी, प्रासंगिक परिस्थितियों में से एक थी। विजय पांडे में इस न्यायालय के नवीनतम निर्णय में [विजय पांडे बनाम यूपी राज्य, (2019) 18 एससीसी 215: 2019 एससीसी ऑनलाइन एससी 942], फिर से तथ्य यह है कि फोरेंसिक रिपोर्ट को उस पदार्थ से

जोड़ने के लिए कोई सबूत नहीं था जो जब्त किया गया था उस पर भी दोषमुक्ति का लाभ बढ़ाने के लिए भरोसा किया गया था।

16. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि इस न्यायालय के किसी भी निर्णय में, अदालत के समक्ष प्रतिबंधित सामग्री को प्रस्तुत नहीं करने पर बरी करने का लाभ देने के लिए पर्याप्त नहीं पाया गया है।

XXX XXX XXX XXX

18. यदि सामग्री की जब्ती अन्यथा अभिलेख पर साबित हो जाता है और उस पर संदेह या विवाद भी नहीं होता है, तो संपूर्ण प्रतिबंधित सामग्री को अदालत के समक्ष रखने की आवश्यकता नहीं है। यदि जब्ती अन्यथा संदेह में नहीं है, तो ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है कि पूरी सामग्री को अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। कभी-कभी सामग्री इतनी भारी हो सकती है, उदाहरण के लिए वर्तमान सामग्री में जब उन 7 बैगों का वजन 223 किलोग्राम था, तो पूरे थोक को अदालत के समक्ष पेश करना संभव और व्यवहार्य नहीं हो सकता | यदि जब्ती अन्यथा साबित हो जाती है, तो इस तथ्य को साबित करने की आवश्यकता है कि प्रतिबंधित सामग्री से और बाहर से लिए गए नमूने बरकरार रखे गए थे, कि जब नमूने फोरेंसिक जांच के लिए प्रस्तुत किए गए थे तो सील बरकरार थीं, कि रिपोर्ट फोरेंसिक विशेषज्ञ प्रतिबंधित सामग्री की क्षमता, प्रकृति और गुणवत्ता को दर्शाते हैं और ऐसी सामग्री के आधार पर, अपराध का गठन करने वाले आवश्यक तत्वों का निर्धारण किया जाता है।“

30. इस मामले के तथ्यों में, इसमें कोई संदेह नहीं कि प्रतिबंधित वस्तु का वजन 6 किलो 300 ग्राम था। विचारण न्यायालय के फैसले को पढ़ने से ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि अपीलकर्ता ने विचारण न्यायालय के समक्ष प्रतिबंधित सामग्री को प्रस्तुत न करने के संबंध में विवाद उठाया था। इस विवाद को उच्च न्यायालय के समक्ष उठाए गए रूप में नहीं देखा जाता है। यह वह मामला है जहां नमूना तैयार किया गया था। सील से छेड़छाड़ को लेकर कोई तर्क नहीं है। हमने आगे देखा कि जांच अधिकारी (पीडब्लू 7) के बयान में, उन्होंने इस प्रकार कहा है:

"केस की संपत्ति प्रदर्श पी1 है, सैंपल प्रदर्श पी2 है सैंपल सील प्रदर्श पी3 है और जिस बैग में केस की संपत्ति अदालत में मौजूद अभियुक्तों के कब्जे से बरामद की गई थी वह प्रदर्श पी4 है।"

31. इस मामले के तथ्यों को अस्वीकार करने में हमें कोई झिझक नहीं है अपीलकर्ता का तर्क।

32. अगला पहलू, जिस पर हम विचार करते हैं, वह यह है कि क्या अपीलकर्ता की दो अदालतों द्वारा की गई सजा में इस आधार पर हस्तक्षेप की आवश्यकता है कि स्वतंत्र गवाह जांच से जुड़े नहीं थे एवं जब्ती और बरामदगी, हमने उन साक्ष्यों पर ध्यान दिया है जिनका अपीलकर्ता ने इस संबंध में आक्षेपित निर्णय की आलोचना करने के लिए उल्लेख किया है। दो अदालतों ने अभियोजन पक्ष के गवाहों की गवाही पर भरोसा जताया है। जांच अधिकारी- पीडब्ल्यू 7 ने जब जांच की, तो इस प्रकार बताया:

> "... आरोपी को पकड़ने के समय जनता में से कोई भी वहां नहीं था। दुकानें थीं लेकिन कोई आवासीय मकान नहीं था। आवासीय कॉलोनी कुछ दूरी पर है। मोहल्ले की किसी महिला को नहीं बुलाया गया। कुछ सम्मानित लोगों को बुलाने की कोशिश की गई मुझे उक्त व्यक्तियों के नाम याद नहीं हैं। प्रेम सिंह पुत्र राजा राम निवासी काहरी, सुनील पुत्र राम मेहर निवासी पानीपत, गुशन कुमार पुत्र गेंदा राम निवासी 8 मरला कॉलोनी, पानीपत को ऐसा करने के लिए कहा गया था। लगभग दो बजे का समय था। डीएसपी भी आ गये थे। उक्त लोग 5/10 मिनट तक हमारे साथ रहे। उन्होंने इस तरह असमर्थता जतायी कि मैंने उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना उचित नहीं समझा। किसी दुकानदार को नहीं बुलाया गया। ..."

33. इसके आलोक में हमें नहीं लगता कि अपीलकर्ता के खिलाफ दिए गए अपराध के फैसले को पलटने का मामला बनाया गया है।

34. ऐसी परिस्थितियों में, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, हालांकि इस बारे में संदेह उत्पन्न हुआ प्रतीत होता है कि क्या डीएसपी उपस्थित थे, दूसरे मामले में डीएसपी की गवाही के संबंध में पीडब्लू 7 द्वारा बुलाए जाने पर, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि तस्करी हुई थी वास्तव में बैग की तलाशी लेने पर वस्तुएं बरामद हुईं, और बलजिंदर सिंह (सुप्रा) मामले में इस न्यायालय द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए, हमें अपीलकर्ता के तर्क में योग्यता नहीं मिलती है।

35. अंत में, अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने इस मामले में एक उत्कृष्ट दलील दी कि यदि उसकी दलीलें स्वीकार्य नहीं पाई जाती हैं, तो न्यायालय निर्देश दे सकता है कि अपीलकर्ता को हरियाणा राज्य में आगे कारावास नहीं भुगतना पड़ सकता है, लेकिन उसे एक जेल में रखे जाने पर विचार किया जा सकता है। मध्य प्रदेश राज्य की जेल जहां उसे अपने परिवार के सदस्यों से मिलने की सुविधा होगी। यह एक ऐसा मामला है जिसे हम उचित राहत पाने के लिए अपीलकर्ता पर उसी के अधीन छोड़ते हैं। अपील खारिज की जाती है। चूंकि अपीलकर्ता जमानत पर है, इसलिए उसका जमानत बांड रद्द कर दिया जाएगा।

अपील खारिज

नामः- सुशीला सोरेंग